(13) संख्या : 10/छप्पन–2014–11/13

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 03 मार्च, 2014

विषय : जनपद फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विकास/विस्तार हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के मुआवजे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 995/ए0एस0–9–84(बी)/2013, दिनांक 31.12.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विकास/विस्तार हेतु भूमि निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। फैजाबाद स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विकास हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वांछित 251 एकड़ भूमि के सापेक्ष जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा 55.728 हे0 भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा चिन्हित 55.728 हे0 भूमि आपसी समझौते से क्रय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, फैजाबाद के निवर्तन पर रखी जायेगी। चिन्हित भूमि पर अनुमानित व्यय रूपये 60.33 करोड़ के सापेक्ष सम्प्रति रूपये 20.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अतः राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 20,00,00,000.00 (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि के व्यय/भुगतान किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रस्तर–1 में इंगित भूमि की व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 20,00,00,000.00 (रूपये बीस करोड़ मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, फैजाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और यथावश्यकता समय–समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृति दी गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी भिन्न मदों/प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी। स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार एवं सुसंगत नियमों के अधीन ही भुगतान की जायेगी।

4. प्रायोजना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि नियमानुसार क्रय की जायेगी।

———2

5. जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा क्रय की जा रही भूमि के विवरण तथा कुल भूमि के मुआवजे का प्रस्ताव पुनः प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय।

6. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षकः 5053–नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–02–विमानपत्तन–800–अन्य व्यय–20–हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन–24–बृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई–7–246/दस–2014, दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 10(1)/छप्पन–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/फैजाबाद।
(4) जिलाधिकारी, फैजाबाद।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद।
(6) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–7
(8) नियोजन अनुभाग–4
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

समीक्षा अधिकारी (बजट)